भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

क्षेत्रीय कार्यालय का पता: कूचबिहार आरओ

रूप नारायण रोड, कूचबिहार

पिन-736101

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या	निविदा संख्या जेसीआई/कूचबिहार/परिवहन/2026-2027/01/ दिनांक: 22.04.2026
विषय	**सड़क परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना**
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	22/05/2026 शाम 5:00 बजे
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि और समय	25/05/2026 दोपहर 12:00 बजे
निविदा दस्तावेज शुल्क - भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है	शून्य
बयाना राशि जमा - भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है	निविदा मूल्य का 2% (54,000 रुपये)
निविदा मूल्य	रु…27,00,000 (+50%)
ईएमडी भुगतान के लिए बैंक विवरण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा: कूचबिहार. खाता संख्या:1301204042 IFSC: CBIN0281032

दिनांक: 22.04.2026

निविदा प्रारूप की दो प्रतियां जारी की जाती हैं।

(एक प्रति निविदाकर्ता द्वारा रखी जाएगी)

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय: कूचबिहार आरओ

सड़क परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रण एवं निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

A. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 22/05/2026 को शाम 5:00 बजे तक

B. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि:- 25/05/2026 को दोपहर 12 बजे।

C. निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों के भीतर स्वीकृति के लिए वैध रहेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक अपने विवेकानुसार इस तिथि को 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं और ऐसा विस्तार निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

टिप्पणी: यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी, लेकिन ऊपर बताए गए समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

A. निविदाकर्ताओं के लिए जानकारी

कूचबिहार क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन विभिन्न विभागीय खरीद केंद्रों/भंडारण गोदामों से कोलकाता और आसपास के विभिन्न जूट मिलों/भंडारण गोदामों तक जूट की गांठों (150 किलोग्राम) के परिवहन का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित और स्थापित परिवहन ठेकेदारों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। निगम के विभागीय खरीद केंद्रों और जूट मिलों के अनुभागों के नाम नीचे दिए गए हैं।

- **क्रय केन्द्र का नाम (डीपीसी)/भंडारण गोदाम:-**
  1) दिनहाटा 2) माथाभांगा 3) भेटागुड़ी 4) कामाख्यागुड़ी 5) अलीपुरद्वार 6) तूफानगंज

- **परिशिष्ट – 3 में उल्लिखित जूट मिलों के विस्तृत नाम।**

- **अनुभाग का नाम**
  1) बीटी रोड 2) जीटी रोड 3) बज बज 4) हावड़ा 5) चेंगैल (अन्य) 6) बर्दवान

1. निविदा जमा करने की प्रक्रिया

परिवहन ठेकेदारों को निर्धारित नियमों और शर्तों, निविदा शुल्क, बयाना राशि (ईएमडी), पैन नंबर, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), एमएसई प्राधिकरणों द्वारा जारी वैध एमएसई प्रमाण पत्र जैसे संबंधित सत्यापित दस्तावेजों के साथ अपना तकनीकी निविदा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनका पूरा नाम और संपर्क विवरण शामिल हो। निविदा 22/05/2026 को शाम 5:00 बजे से पहले ई-निविदा पोर्टल (ऑनलाइन) (www.etenders.gov.in) के माध्यम से जमा करनी होगी। वित्तीय निविदा में कूचबिहार क्षेत्र के अंतर्गत निगम के विभिन्न भंडारण बिंदुओं से विभिन्न मिलों तक जूट की गांठों के परिवहन के लिए अनुभागवार परिवहन दरों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कृपया इस निविदा सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक - 1 और 2 (तकनीकी निविदा के अंतर्गत) और अनुलग्नक - 3 और 4 (वित्तीय निविदा के अंतर्गत) देखें। निविदाओं की तकनीकी निविदा पहले खोली जाएगी और उसके बाद केवल उन्हीं निविदाओं की मूल्य निविदा खोली जाएगी जो तकनीकी निविदा में उत्तीर्ण होंगी।

2. निविदा खोलने की तिथि और समय

निविदा 25/05/2026 को दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। तकनीकी निविदा पहले खोली जाएगी। तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा और तकनीकी निविदा में योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं की मूल्य बोलियां उसी दिन या बाद में खोली जाएंगी। मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए पात्र पक्षों को अलग से सूचित किया जाएगा। निविदाएं उन निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपस्थित होना चाहते हैं।

निविदा मूल्य: 27,00,000 रुपये/- जो 50% तक बढ़ या घट सकता है।

3. ईएमडी और प्रदर्शन सुरक्षा जमा

सभी बोलीदाताओं को निविदा के साथ यूपीआई/बीएचआईएम/यूपीआई क्यूआर कोड और आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निविदा मूल्य का 2% बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में "जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के पक्ष में जमा करना होगा। सफल बोलीदाता को अनुबंध अवधि पूरी होने तक अनुबंध मूल्य का 5% प्रदर्शन गारंटी के रूप में रखा जाएगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी को उसके द्वारा देय प्रदर्शन गारंटी राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी जमा राशि निविदा खुलने की तिथि से एक माह के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं के लिए, माल के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की हानि या क्षति होने पर या आवश्यकतानुसार किसी अन्य वसूली के मामले में निगम को ऐसी प्रदर्शन गारंटी के आंशिक या पूर्ण मूल्य को समायोजित करने या जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ईएमडी जमा न करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा शुल्क और ईएमडी भुगतान के यूटीआर नंबर निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने हैं। सफल बोलीदाताओं के लिए, प्रदर्शन गारंटी (असमायोजित राशि) अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं के लिए निविदा शुल्क और ईएमडी से छूट दी गई है।

4. चयन की विधि

चयन निगम के विभिन्न केंद्रों से कोलकाता और आसपास के मिलों तक जूट की गांठों के परिवहन के लिए बोलीदाता द्वारा उद्धृत सबसे कम दरों के आधार पर किया जाएगा। परिवहन दरें बिना किसी कटौती या अतिलेखन के उद्धृत की जानी चाहिए। परिवहनकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन या अतिलेखन निविदा को तत्काल अस्वीकार कर देगा और रद्द कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को अपने चयन की सूचना और अनुबंध मूल्य प्राप्त होने के एक दिन के भीतर निविदा स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा परिवहनकर्ता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और परिवहनकर्ता को निगम को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी।

5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार:

निगम के पास किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और ऐसा करने पर निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा और न ही निगम इसका कोई कारण बताएगा। निविदा प्रपत्र के सभी कॉलम स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से भरे होने चाहिए। निविदा प्रपत्र किसी भी रूप में अपूर्ण पाए जाने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है। इसके अलावा, सशर्त बोलियां भी अस्वीकार कर दी जाएंगी।

6. तकनीकी नियम एवं शर्तें

ए इस निविदा दस्तावेज/अनुबंध में, 'निगम' से तात्पर्य 'जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' से है और 'क्षेत्रीय प्रबंधक' से तात्पर्य जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक से है।

बी. निगम या केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए या प्रतिबंधित किए गए निविदाकर्ता ऐसे ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान या पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो भी अधिक हो, अपात्र होंगे। कोई भी निविदाकर्ता जिसका अनुबंध जूट निगम ऑफ इंडिया, या केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त कर दिया गया हो, वह भाग लेने के लिए अपात्र होगा।

सी. निविदाकर्ता जिसकी बयाना राशि और/या सुरक्षा जमा राशि पिछले पांच वर्षों के दौरान जूट निगम ऑफ इंडिया या केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जब्त कर ली गई हो, वह अपात्र होगा।

डी. यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के स्वामी/साझेदारों/निविदाकर्ता कंपनी के निदेशक को किसी भी समय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो ऐसा निविदाकर्ता भाग लेने के लिए अपात्र होगा।

ई. उपरोक्त किसी भी खंड के कारण अपात्रता पर विचार करते समय, किसी भी क्षमता में (यहां तक कि मालिक, किसी अन्य फर्म में भागीदार, या किसी कंपनी के निदेशक आदि के रूप में) ऐसी किसी भी अयोग्यता का होना निविदा को अयोग्य घोषित कर देगा।

एफ. कार्य आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को जारी किया जाएगा या सबसे कम बोली लगाने वालों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। यदि L2 और L3, L1 की दर पर काम करने के लिए सहमत होते हैं, तो निगम आदेश की 60% मात्रा L1 को, 25% मात्रा L2 को और 15% मात्रा L3 को आवंटित कर सकता है। कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर जूट की गांठें न उठाने की स्थिति में, JCI को निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने या ट्रांसपोर्टर की कार्रवाई के कारण JCI को हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार सुरक्षित है और वह अनुबंधित ट्रांसपोर्टर के जोखिम और लागत पर अनुमोदित दर पर उक्त खेप को उठाने के लिए किसी अन्य ट्रांसपोर्टर को नियुक्त कर सकता है। सफल बोली लगाने वाले को पत्र, ईमेल आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा और उसके बाद "कार्य आदेश" जारी किया जाएगा।

एच. कॉर्पोरेशन बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जे. वैध आयकर, पैन, व्यावसायिक कर, व्यापार लाइसेंस, व्यवसायिक पते का प्रमाण और अनुबंध संख्या सहित दस्तावेज़ों की प्रतियां निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को जमा न करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क परिवहन नियम 2011/सड़क परिवहन अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

के. निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वह किस हैसियत से निविदा पर हस्ताक्षर कर रहा है (अर्थात, वह मालिक, साझेदार या व्यवसाय का निदेशक है)।

एल यदि निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज और उसके अनुलग्नकों एवं परिशिष्टों में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत/असत्य पाई जाती है, तो निगम को कानून के तहत प्राप्त किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित करने/अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

एम। निविदा जमा करने से पहले, निविदाकर्ताओं को वास्तविक कार्यप्रणाली और अन्य सभी प्रचलित स्थितियों, उपलब्ध सुविधाओं, माल की प्रकृति, प्रेषण आदि के बारे में उचित जानकारी एकत्र करने की सलाह दी जाती है। जानकारी की कमी के आधार पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ओ गंतव्यों के बीच माल का स्थानांतरण अनुमत नहीं है। किसी भी अप्रिय घटना जैसे खराबी, दुर्घटना आदि की स्थिति में, जहां स्थानांतरण अपरिहार्य या आवश्यक हो जाता है, परिवहनकर्ता निगम से लिखित में उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है।

पी. ऐसे ट्रांसपोर्टर जिनका जेसीआई के साथ कोई कानूनी विवाद चल रहा हो या लंबित हो, साथ ही जिन पर ट्रांसपोर्टर का बकाया हो, वे भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

B. विशेष नियम एवं शर्तें:

7. अनुबंध की अवधि

कार्य आदेश की प्रभावी तिथि से अनुबंध की अवधि 1 (एक) वर्ष होगी औरनिगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में इसे दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

8. निविदाओं का स्पष्टीकरण

निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और बोलीदाताओं की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, निगम अपने विवेकानुसार किसी भी बोलीदाता से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है और उसे उत्तर देने के लिए उचित समय प्रदान कर सकता है। निगम द्वारा मांगे बिना किसी भी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। निगम का स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित में होगा। निविदा के मूल्य या विषयवस्तु में कोई परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न प्रस्तावित किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी, सिवाय निविदा के मूल्यांकन में निगम द्वारा पाई गई गणितीय त्रुटियों के सुधार के।

यदि कोई बोलीदाता निगम द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पहले निगम द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा बिना किसी और सूचना के और बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत की जा सकती है।

9. बोली दस्तावेजों में संशोधन

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, निगम अपनी इच्छा से या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में, आवश्यक संशोधन जारी करके निविदा दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है। संशोधन की सूचना केवल निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी और यह सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। निगम अपने विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

10. अनुबंध पर हस्ताक्षर:

सफल बोलीदाताओं को न्यूनतम दरों की स्वीकृति के लिए लिखित सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर निगम के साथ कम से कम 100 रुपये मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर एक अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टांप शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

11. <u>सत्यनिष्ठा समझौता:</u>

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अधिसूचना के अनुसार, इस निविदा के लिए "ईमानदारी समझौता" करना अनिवार्य है। केवल वही विक्रेता/बोलीदाता निविदा में भाग लेने के योग्य माने जाएंगे जो निगम के साथ "ईमानदारी समझौता" पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध हों। निविदा में भाग लेने के चरण में, सभी विक्रेताओं को निगम के साथ "ईमानदारी समझौता" पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है, यदि उन्हें ऑर्डर प्राप्त होता है। केवल सफल बोलीदाता को ही वास्तव में "ईमानदारी समझौता" पर हस्ताक्षर करने होंगे।

अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जब यह समझौता प्रभावी हो जाता है, तो अखंडता समझौते के किसी भी उल्लंघन या अनुबंध के निष्पादन से संबंधित मुद्दों के मामले में, निगम/विक्रेता समाधान और निवारण के लिए स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) से संपर्क करेगा।

आईईएम का विवरण इस प्रकार है:
श्री सुभाषिश सरकार
फ़्लैट संख्या 406, ब्लॉक III
कीर्ति अपार्टमेंट्स
मयूर विहार फेज एक्सटेंशन
दिल्ली – 110009
ईमेल:<u>subhashishsarkar53@yahoo.com</u>

श्री उपेंद्र मलिक
बी-108, एनएसजी सोसाइटी,
प्लॉट 2, पॉकेट 6
बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201315
ईमेल:<u>upendra.malik@gmail.com</u>
सत्यनिष्ठा समझौता अनुलग्नक V के रूप में संलग्न है।

12. अन्य नियम एवं शर्तें

ए. अनुबंध 1 में उल्लिखित दरें निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक (क्षेत्र द्वारा निर्धारित अवधि, हालांकि वैधता 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए) वैध रहेंगी और निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक की उचित स्वीकृति से विशेष परिस्थितियों में दो महीने तक बढ़ाई जा सकती हैं।

बी. ईंधन की लागत में उतार-चढ़ाव के कारण अनुबंध दरों में किसी भी बदलाव पर निम्नलिखित बिंदुओं और सूत्र के आधार पर विचार किया जा सकता है:

सी. बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर अनुबंध अवधि के दौरान स्थिर रहेगी, सिवाय तेल कंपनी द्वारा घोषित एचएसडी कीमतों में वृद्धि/कमी के (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मूल्य संदर्भ पर विचार किया जाएगा)।

डी. परिवहन दरों में वृद्धि/कमी केवल डीजल की कीमत में वृद्धि/कमी के कारण ही की जाएगी।

ई. मूल्य वृद्धि/अववृद्धि खंड केवल तभी लागू होगा, जब डीजल की कीमतों में वृद्धि/कमी की श्रृंखला के परिणामस्वरूप एचएसडी की आधार अनुबंध/समझौते दर से 2.00 रुपये प्रति लीटर (केवल दो रुपये) से अधिक की संचयी शुद्ध वृद्धि/कमी हो।

एफ. ऐसी वृद्धि/कमी केवल उस भावी अवधि के लिए लागू होगी जिस तिथि से संचित प्रभाव 2.00 रुपये या उससे अधिक हो जाता है।

जी. परिवहन शुल्क में वृद्धि/कमी का सूत्र निम्नलिखित है:

$$0.25 \times A \times \frac{(C-B)}{B}$$

ए = अनुबंध/समझौते के अनुसार परिवहन का मूल शुल्क।

बी = अनुबंध/समझौते की तिथि पर (पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए कोलकाता, असम के क्षेत्रों के लिए गुवाहाटी, उड़ीसाक्षेत्रों के लिए भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के लिए विशाखापत्तनम और बिहार के क्षेत्रों के लिए पूर्णिया) में लागू HSD का प्रचलित मूल्य।

सी = संबंधित स्थान के HSD की संशोधित कीमत।

संबंधित क्षेत्र (जैसा कि B में दर्शाया गया है) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आउटलेट्स पर प्रचलित डीजल दर को दरों में संशोधन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अतः ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखे और उन्हें विधिवत प्रस्तुत करे।

13. परिवहन के दौरान जूट की गांठों को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति होने पर ठेकेदारों को ही वहन करना होगा। सभी खेपों का वजन लोडिंग पॉइंट और अनलोडिंग पॉइंट (यानी मिल पॉइंट के बाहर) के निकटतम स्थान पर किया जाना अनिवार्य है। लोडिंग पॉइंट और मिल पॉइंट के बाहर के स्थान के बीच 25 किलोग्राम से अधिक वजन का अंतर संबंधित ट्रांसपोर्टर के परिवहन बिल से काट लिया जाएगा। यदि मिल पॉइंट के बाहर वजन नहीं किया जाता है, तो लोडिंग पॉइंट और मिल पॉइंट (अनलोडिंग पॉइंट) के बीच 25 किलोग्राम से अधिक वजन का अंतर ट्रांसपोर्टर को देय परिवहन बिल से काट लिया जाएगा। मिल (अनलोडिंग पॉइंट) में लॉरी/ट्रकों के रुके रहने की स्थिति में निगम द्वारा ट्रांसपोर्टर को किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं दिया जाएगा।

14. ठेकेदारों को माल को प्रेषण दस्तावेजों में उल्लिखित निर्दिष्ट जूट मिलों तक बिना किसी क्षति, कमी या हानि के पहुँचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां/उपाय और पूरी सावधानी बरतनी होगी। वे न तो माल की आंशिक डिलीवरी करेंगे और न ही खेप की डिलीवरी नहीं करेंगे। खेप में किसी भी प्रकार की क्षति/कमी/हानि/डिलीवरी न होने की स्थिति में, निगम (अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) ऐसी क्षति/कमी/हानि/डिलीवरी न होने की लागत ठेकेदारों के बकाया बिल/क्रेडिट शेष या सुरक्षा जमा राशि या किसी अन्य देय राशि से वसूल करेगा, चाहे कोई बीमा अनुबंध/निपटान हुआ हो या नहीं। यदि वसूल की जाने वाली राशि ठेकेदार को देय राशि से अधिक है, तो समायोजन द्वारा वसूल न की जा सकने वाली राशि ठेकेदार से अलग से वसूल की जाएगी, जिसका भुगतान करने के लिए वह बाध्य होगा।

15. माल ढुलाई के दौरान, बारिश या अन्य प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए सामान को तिरपाल से उचित रूप से ढक कर रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार, निगम के माल को जिस वाहन में ले जाया जा रहा है, उसमें अन्य पक्षों का माल नहीं ले जाएगा।

16. परिवहनकर्ता को प्रत्येक खेप के लिए निगम से आपूर्ति बिल प्राप्त करना चाहिए। परिवहनकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर ई-वे बिल वेबसाइट से प्रत्येक खेप के लिए ई-वे बिल भी जनरेट करना चाहिए। माल/जूट की गांठों की डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब खेप भेजने वाले पक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी चालान/कंसाइनमेंट नोट निगम कार्यालय में जमा कर दी जाए।

17. गंतव्यों के बीच माल का स्थानांतरण अनुमत नहीं है। किसी भी अप्रिय घटना जैसे खराबी, दुर्घटना आदि की स्थिति में, जहां स्थानांतरण अपरिहार्य या आवश्यक हो जाता है, परिवहनकर्ता निगम से लिखित में उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है।

18. ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निगम की आवश्यकताओं के अनुसार जूट की गांठों के परिवहन के लिए पर्याप्त ट्रक उपलब्ध कराए।

19. निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुबंध/निविदा के तहत सेवाएं प्रदान करना।

20. ठेकेदार को निगम द्वारा माल (जूट की गांठें) की ढुलाई के लिए प्रतिदिन आवश्यक ट्रकों की संख्या उपलब्ध करानी होगी।

21. ठेकेदार को निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से अगले दिन/दिन के लिए लोडिंग का विवरण/कार्यक्रम प्रतिदिन प्राप्त करना होगा और इस कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त संख्या में अच्छी स्थिति में लॉरी/ट्रक उपलब्ध कराने होंगे तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि लॉरी, ट्रक आदि निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न लोडिंग पॉइंट/डीपीसी पर प्रतिदिन निर्धारित समय पर मौजूद हों।

22. ठेकेदार को जूट की गांठों के परिवहन के लिए कम समय के नोटिस पर ट्रक उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहना चाहिए।

23. निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए किसी भी विवरण/कार्यक्रम में उल्लिखित मात्रा (ट्रक लोड के गुणकों में) में परिवर्तन किया जा सकता है और ठेकेदार कार्यक्रम में दर्शाई गई मात्रा के लिए आवश्यक लॉरी/ट्रक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार को जारी किए गए किसी भी कार्यक्रम में निर्दिष्ट कार्य की मात्रा न सौंपे जाने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

24. ठेकेदार माल की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो गोदामों/मंडियों/रेलवे (लोडिंग पॉइंट) से ट्रकों पर लादने के समय से लेकर चालान प्रति, आपूर्ति बिल या निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित प्राप्तकर्ता के गंतव्य पर माल उतारने तक की अवधि तक बनी रहेगी। ठेकेदार ट्रक के डेक पर जूट की गांठों के नुकसान या क्षति से बचने के लिए तिरपाल लगाएगा और परिवहन के दौरान किसी भी नुकसान, कमी या क्षति की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। लोडिंग/अनलोडिंग पॉइंट आदि पर वजन की जाँच के समय ठेकेदार का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। नुकसान की मात्रा निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के पास होगा।

25. माल की लोडिंग मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित वाणिज्यिक वाहन के रेटेड एक्सल लोड तक ही सीमित रहेगी और ठेकेदार वाहनों की लोडिंग संबंधी इन नियमों का पालन करेगा। यदि वाहन में ओवरलोडिंग के मामले में किसी प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाता है या कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसके लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रकों में ओवरलोडिंग करने वाले किसी भी ठेकेदार को इस अनुबंध/निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा, जिसके लिए अनुबंध/निविदा रद्द की जा सकती है।

26. यदि वाहन खराब हो जाता है या नियमों और विनियमों का पालन न करने के कारण पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा वाहन को जब्त कर लिया जाता है, तो माल की डिलीवरी में देरी से होने वाली किसी भी हानि/क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

27. ठेकेदार निगम के जूट के गट्ठों को जिन ट्रकों/लॉरियों में लोड किया जाता है, उनमें किसी अन्य सामान को लोड करने की अनुमति नहीं देगा।

28. ठेकेदार सड़क परिवहन अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का पालन करने का वचन देगा और कानून के अनुसार हानि की भरपाई करने का वचन देगा। इसके अलावा, ठेकेदार निगम को पंजीकरण आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

29. प्रलेखन:

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी सभी आवश्यक पारगमन दस्तावेज़ साथ रखें। यदि पारगमन दस्तावेज़ अपूर्ण हों, तो इसकी सूचना तुरंत निगम को दी जाए। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन के डीपीसी से निकलने से पहले, वाहन में ले जाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़, जिनमें कंसाइनमेंट नोट, निगम द्वारा जारी किया गया ट्रांजिट पास, जीएसटी/बिक्री कर/प्रवेश कर/उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क कानूनों के तहत घोषणा पत्र शामिल हैं, चालक/ठेकेदार के प्रतिनिधि के पास उसकी स्वीकृति के साथ मौजूद हों, और वह निगम को इन दस्तावेज़ों की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।

30. माल भेजने का नोट और सामग्री प्राप्ति की स्वीकृति

ठेकेदार के माल-पत्रों या किसी अन्य दस्तावेज़ में पृष्ठ के पीछे छपे नियम एवं शर्तें निगम पर उस हद तक लागू नहीं होंगी, जहाँ तक वे अनुबंध/निविदा की शर्तों के विपरीत या असंगत हों। जूट की गांठें/सामान की डिलीवरी लेते समय, ठेकेदार लोड/अनलोड की गई सामग्री की मात्रा की जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सामग्री अच्छी स्थिति में है। ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निगम के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, ठेकेदार की ओर से प्राप्त जूट की गांठों/सामान की मात्रा और स्थिति की पर्याप्त स्वीकृति मानी जाएगी।

31. बीमा

ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात/आउटसोर्स किए गए कर्मियों के संबंध में सभी जोखिमों को कवर करने के लिए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, घातक दुर्घटना अधिनियम, सामान्य जन देयता बीमा या व्यापक सामान्य देयता बीमा और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत एक व्यापक बीमा की व्यवस्था करनी होगी और अनुबंध/समझौते की समाप्ति तक बीमा कवरेज को अद्यतन/नवीनीकृत रखना होगा। बीमा की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी और ठेकेदार निगम को ऐसी घटनाओं से उत्पन्न सभी देनदारियों/हानि/क्षति से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति बनाए रखने का वचन देता है। ठेकेदार को निगम द्वारा मांगे जाने पर, बीमा पॉलिसियों की मूल प्रतियां और/या सत्यापित प्रतियां, सभी प्रीमियम रसीदों और निगम द्वारा मांगे गए अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ, सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।

32. अनुबंध/निविदा दस्तावेजों का खुलासा न करना

ठेकेदार, जूट की गांठों/सामानों के परिवहन से संबंधित कोई भी जानकारी या विवरण, और/या निगम के कार्यालय, परिचालन प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी, जो इस अनुबंध/निविदा के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास आती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और इसे हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध/निविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जहां इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करना या लागू कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक हो। ठेकेदार निगम की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा और न ही प्रकट करेगा। ठेकेदार किसी भी

गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप निगम को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध/निविदा के तहत किसी भी जानकारी या विवरण के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों का उल्लंघन उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को न बताया जाए। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार द्वारा अनुबंध/निविदा का उल्लंघन माना जाएगा और निगम क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा। ठेकेदार का गोपनीयता और जानकारी को गुप्त रखने का दायित्व इस अनुबंध/निविदा की समाप्ति या किसी भी कारण से निरस्त होने के बाद भी लागू रहेगा। यदि ठेकेदार को प्रेस/समाचार/मीडिया/रेडियो/टेलीविजन या अन्य निकायों/व्यक्तियों से कोई पूछताछ प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तुरंत निगम को दी जानी चाहिए और निगम की सहमति प्राप्त किए बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

33. सड़क दुर्घटना

यदि ठेकेदार का जूट की गांठें/सामान ले जा रहा वाहन गंतव्य तक जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: -

क) परिवहन की सूचना तत्काल क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित केंद्र के प्रभारी को दी जानी चाहिए, साथ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने, जांच रिपोर्ट तैयार करने, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट और तस्वीरें आदि की व्यवस्था करने की औपचारिकताएं भी पूरी की जानी चाहिए।

ख) ट्रांसपोर्टर पुलिस को लिखित रूप में सूचित करेगा और एफआईआर की प्रति संलग्न करते हुए निगम को फैक्स/टेलीफोन/ई-मेल द्वारा तुरंत सूचित करेगा।

ग) परिवहनकर्ता दुर्घटना स्थल पर सामग्री को चोरी, लूटपाट या क्षति से बचाने के लिए युद्धस्तर पर तत्काल कदम उठाएगा।

घ) सामग्री को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से निगम के गंतव्य तक तुरंत पहुँचाया जाना चाहिए।

च) क्षतिग्रस्त सामग्री निगम को सौंप दी जानी चाहिए और बीमा कंपनी द्वारा निगम के स्थान पर सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

छ) पंचनामा भी तैयार किया जाना चाहिए, जिसकी प्रतियां निगम को प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, निगम प्रत्येक मामले का निपटारा उसकी योग्यता के आधार पर करेगा और किसी भी स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से परिवहनकर्ता सामग्री को हुए नुकसान/क्षति के लिए अपनी जिम्मेदारी और दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

34. वाहन जब्ती शुल्क:

किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कारण से, परिवहन या सेवा के निष्पादन के दौरान किसी भी बिंदु पर वाहनों को रोके जाने के लिए निगम द्वारा किसी भी प्रकार के हिरासत शुल्क के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

35. निगम को हुए नुकसान के लिए ठेकेदार की देयता

क) ठेकेदार इस अनुबंध/निविदा के अंतर्गत किसी भी सेवा के संबंध में ठेकेदार की लापरवाही और असंतोषजनक निष्पादन, अनुबंध/निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन, या अनुबंध/निविदा के अंतर्गत कार्य को पूरा करने में विफलता के कारण निगम को हुए सभी खर्चों, क्षति, पंजीकरण शुल्क, प्रभार और व्ययों के लिए उत्तरदायी होगा, और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के किसी भी कार्य, चाहे वह लापरवाहीपूर्ण हो या अन्यथा, के कारण निगम को, या विशेष रूप से निगम की किसी भी संपत्ति को हुई सभी क्षति या हानियों के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठेकेदार की ऐसी विफलता और निगम को हुई हानियों आदि के लिए उसकी देयता, तथा ऐसी हानियों के निर्धारण के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

ख) उपरोक्त कथन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध/निविदा की एक अतिरिक्त शर्त यह है कि अनुबंध के उल्लंघन या ठेकेदार द्वारा निगम द्वारा निर्धारित ट्रकों की संख्या प्रतिदिन उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में, ठेकेदार निगम को 9 मीट्रिक टन/12 मीट्रिक टन/16 मीट्रिक टन के ट्रकों के लिए प्रति ट्रक प्रति दिन 300 रुपये की दर से अधिकतम 1000 रुपये (एक हजार रुपये) तक का हर्जाना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे अनुबंध के पक्षकारों ने निगम को ऐसी विफलता के कारण होने वाले वास्तविक पूर्व-अनुमानित नुकसान के रूप में स्वीकार किया है।

ग) ठेकेदार प्रत्येक ट्रक के लिए जूट की गांठों आदि को ढकने के लिए पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध कराएगा और परिवहन के दौरान जूट की गांठों को गीला होने/क्षतिग्रस्त होने/नष्ट होने से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतेगा। यदि ठेकेदार ट्रकों के डेक पर तिरपाल बिछाने या लोडिंग के बाद ट्रक को ढकने के लिए तिरपाल उपलब्ध कराने में लापरवाही करता है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्तकर्ता पक्षों द्वारा लागू/दावा किए गए सुखाने के शुल्क लगाए जाएंगे, अनुबंध/समझौते और कानून के तहत किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

घ) ठेकेदार, सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा परिवहन के लिए ठेकेदार को दी गई किसी भी मात्रा में माल/जूट की गांठों की ज़ब्ती से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई निगम को करेगा, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग या पारगमन के दौरान होने वाली ज़ब्ती शामिल है, यदि यह ज़ब्ती भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और बिजली गिरने, दंगे या नागरिक अशांति जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा अन्य कारणों से हुई हो।

च) निगम, वसूली के किसी अन्य अधिकार या विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से, जिसमें प्रदर्शन सुरक्षा जमा भी शामिल है, ऐसी हानि और/या निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि काट सकता है।

36. क्षतिपूर्ति की वसूली

निगम निम्नलिखित परिस्थितियों में ठेकेदार की विफलता के लिए क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(क) क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रों की मांग के अनुसार निर्धारित समय के भीतर माल की आपूर्ति न करना, चाहे वह फोन पर हो या लिखित रूप में।

(ख) तिरपाल से ढकने में विफलता के कारण बारिश या अन्य क्षति से माल की हानि।

(ग) माल को लोडिंग पॉइंट के निकटतम, मिल पॉइंट के निकटतम और मिल पॉइंट पर तौलना नहीं।

(घ) यदि डी.पी.सी. बिंदु और बाहरी मिल बिंदु के बीच वजन का अंतर 25 किलोग्राम से अधिक है, तो गंतव्य बिंदु पर जूट के लैंडिंग मूल्य के आधार पर गणना की गई अनुमेय राशि यानी 25 किलोग्राम से अधिक वजन के अंतर का मूल्य माल ढुलाई शुल्क से समायोजित किया जाएगा।

(च) परिवहन के दौरान आपूर्ति बिल, वे बिल, चालान, माल ढुलाई नोट आदि जैसे दस्तावेजों को साथ न ले जाना, और क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य मामलों में भी ऐसा करना।

37. ज़ब्ती खंड:

यदि ठेकेदार निगम की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप जूट की गांठों/माल का परिवहन करने में विफल रहता है, और/या अनुबंध/निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो निगम अनुबंध/निविदा को रद्द करने या ठेकेदार को देय भुगतान को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने और प्रदर्शन गारंटी को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. निगम के अधिकार:

क) निगम बिना कोई कारण बताए कार्य को एक से अधिक ठेकेदारों के बीच विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में निगम द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) इसमें निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये निगम को सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध/समझौते पर हस्ताक्षर करते समय ऐसी अतिरिक्त या अन्य नियम और शर्तें लागू करने या उन पर सहमति देने से नहीं रोकेंगी, या इसमें निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या हटाने से नहीं रोकेंगी, जिन्हें इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उपयुक्त निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

ग) ठेकेदार या उसके एजेंट/कर्मचारी, यदि निगम की राय में, इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वे प्रदर्शन सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती और/या अनुबंध/समझौते की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

घ) अनुबंध या उसके बाद का कोई भी अनुबंध/समझौता बोलीदाता/ठेकेदार को किसी भी न्यूनतम व्यावसायिक गारंटी का आश्वासन नहीं देता है।

च) निगम निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियों को खोलने की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

39. समाप्ति एवं संशोधन:

(क) निगम, किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को कम से कम 15 (पंद्रह) दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध/समझौते को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है: -

i. यदि ठेकेदार अनुबंध/समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है।

ii. यदि ठेकेदार अनुबंध/समझौते में निर्दिष्ट समय अवधि (अवधियों) के भीतर या निगम द्वारा लिखित रूप में दी गई किसी भी समयावधि के भीतर कोई भी या सभी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है।

iii. यदि ठेकेदार, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में से किसी में भी, निगम से लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर अपनी विफलता का निवारण नहीं करता है।

iv. यदि निगम के निर्णय के अनुसार ठेकेदार ने अनुबंध/समझौते को पूरा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण किया है, तो निगम अनुबंध/समझौते को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है। निगम उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर ऐसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है, और ठेकेदार ऐसी समान सेवाओं के लिए निगम को किसी भी जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा।

v. इस अनुबंध/समझौते की अवधि समाप्त होने पर यह अनुबंध/समझौता स्वतः समाप्त माना जाएगा।

vi. यदि ठेकेदार या उसका सहयोगी अनुबंध/समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय दिवालिया हो जाता है या लेनदारों के लाभ के लिए अपनी संपत्तियों का स्वैच्छिक हस्तांतरण करता है या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो निगम को लिखित सूचना द्वारा अनुबंध/समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार के सभी अधिकार और विशेषाधिकार तत्काल समाप्त हो जाएंगे।

vii. यदि निगम को लगता है कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं है या अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं है, तो निगम ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करेगा और असंतोष का विस्तृत कारण बताएगा। यदि ठेकेदार निगम द्वारा जारी लिखित सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो निगम के पास ठेकेदार को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध/समझौते को समाप्त करने का विकल्प होगा।

viii. यदि इस अनुबंध/निविदा के अंतर्गत ठेकेदार के अधिकार और दायित्व तथा/या उपकरण/सामग्री पर ठेकेदार के अधिकार, स्वामित्व और हित निगम की सहमति के बिना हस्तांतरित या सौंपे जाते हैं, तो निगम अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर इस अनुबंध/निविदा को समाप्त कर सकता है।

ix. इस अनुबंध में किसी भी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, निगम उपरोक्त खंडों में उल्लिखित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से ठेकेदार को 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध/समझौता समाप्त कर सकता है, और ऐसी समाप्ति की स्थिति में निगम ठेकेदार को अनुबंध/निविदा के अनुसार समाप्ति की तिथि तक की सेवाओं के भुगतान के अलावा किसी भी लागत या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

x. यदि ठेकेदार इस अनुबंध/निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, या काम संतोषजनक ढंग से नहीं करता है, या समय पर सामग्री नहीं उठाता है, तो निगम अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध/समझौते को तत्काल समाप्त कर सकता है और ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर काम करवा सकता है, और/या ठेकेदार की लापरवाही या समय पर सामग्री न उठाने के कारण निगम को होने वाली किसी भी क्षति, हानि, शुल्क, व्यय या लागत के लिए देय राशि के रूप में सुरक्षा जमा या उसके किसी भाग को जब्त कर सकता है।

(ख) अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि जेसीआई अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और बोलीदाता/ठेकेदार से लिखित सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता/ठेकेदार जेसीआई को 60 (साठ) दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

40. वैधानिक अनुपालन:

क. बोलीदाता/ठेकेदार मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सड़क परिवहन अधिनियम, 2007, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938, बाल रोजगार अधिनियम, 1938; और/या समय-समय पर संशोधित किसी अन्य नियम, विनियम और क़ानून का पालन करेंगे, जो ठेकेदार और उसके कर्मचारियों/कर्मियों पर लागू होते हैं या हो सकते हैं। निगम जब भी आवश्यक समझे, ऐसे अनुपालन का प्रमाण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और बोलीदाता इसका पालन करेगा। उपरोक्त उल्लिखित विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बोलीदाता पूर्णतः उत्तरदायी होगा और निगम को सभी चूक, दोष, उल्लंघन और/या उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग,

हानि, चोट और व्यय से क्षतिपूर्ति करेगा। यदि बोलीदाता इस अनुबंध के अंतर्गत और/या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों या इनके अंतर्गत निर्मित किसी भी उपनियम या नियम के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो निगम ऐसे दावों, मांगों, हानि या चोट के कारण होने वाली किसी भी हानि या व्यय की वसूली बोलीदाता के मासिक भुगतान और सुरक्षा जमा राशि से करने का हकदार होगा।

ख) आयकर, सेवा कर या सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर का भुगतान ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। कर कटौती, सुरक्षा कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों और ऐसे मामलों में लागू होने वाले अन्य सभी दायित्वों, जिनका यहां पूर्ण रूप से उल्लेख और परिभाषा नहीं दी गई है, का भुगतान ठेकेदार की ही एकमात्र जिम्मेदारी होगी और इसमें निगम किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होगा।

ग) ठेकेदार को ईपीएफ, ईएसआई और अन्य श्रम कानूनों से संबंधित सभी दायित्वों के विरुद्ध निगम को क्षतिपूर्ति देने हेतु आवश्यक स्टांप पेपर पर 'क्षतिपूर्ति बांड' प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम/नियम, परिवहन, सड़क अधिनियम/नियम और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य कानूनों से उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी मुद्दे और दायित्व शामिल हैं। ठेकेदार को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति देनी होगी: -

घ) मैं/हम एतद्द्वारा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किसी भी कार्यवाही, दावे, व्यय, देनदारियों या गैर-अनुपालनों के संबंध में होने वाली किसी भी हानि और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखने का वचन देते हैं, जो पी.एफ./ईएसआई/श्रम कानूनों और/या मोटर वाहन अधिनियम/नियमों, सड़क परिवहन अधिनियम/नियमों और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनों से उत्पन्न होती है या होने की संभावना है। यह वचन हस्ताक्षरकर्ता/ठेकेदार, उनके कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों और उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी रहेगा।

41. ऑक्ट्रॉय / प्रवेश कर:

ठेकेदार चेक पोस्टों पर चुंगी/प्रवेश कर से संबंधित सभी औपचारिकताओं का पालन करने का वचनबद्ध होगा। इन औपचारिकताओं का पालन न करने की स्थिति में माल की हानि/क्षति के लिए ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि कोई प्रवेश कर/चुंगी लागू होती है, तो उसका भुगतान निगम द्वारा सीधे वैधानिक अधिकारियों को किया जाएगा।

42. कर और अन्य देय राशियाँ

समय-समय पर लागू होने वाले करों और शुल्कों के लिए परिवहन बिलों से आवश्यक कटौतियां की जाएंगी।

43. मौखिक या लिखित वचनबद्धता बाध्यकारी नहीं है:

इस अनुबंध/निविदा या इसकी किसी भी शर्त को रद्द करने, बदलने या उसमें कुछ जोड़ने से संबंधित कोई भी मौखिक या लिखित समझौता निगम पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति न बन जाए और इसे लिखित रूप में दर्ज न कर लिया जाए।

44. सूचना:

इस अनुबंध/निविदा के तहत या कार्य से संबंधित किसी अन्य रूप में अनुमत या आवश्यक सभी सूचनाएं या रिपोर्ट लिखित रूप में होंगी और नीचे दिए गए पते पर या किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट किसी अन्य पते पर व्यक्तिगत रूप से या मान्यता प्राप्त कूरियर सेवाओं, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक आदि के माध्यम से भेजी जाएंगी।

निगम का पता: _____

ठेकेदार का पता: _____

45. प्रतिनिधित्व और वारंटी:

क) प्रत्येक पक्ष यह प्रतिनिधित्व और गारंटी देता है कि:

ख) इसे इस अनुबंध/निविदा में उल्लिखित कार्य में प्रवेश करने और उसे पूरा करने का पूर्ण अधिकार, शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है तथा इस अनुबंध/निविदा की तिथि पर इसे इस अनुबंध/निविदा को निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त कॉर्पोरेट या अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है।

ग) इसका किसी अन्य व्यक्ति/निगम/या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ कोई पूर्व प्रतिबद्धता, व्यवस्था या समझौता नहीं है जो इस अनुबंध/निविदा के तहत इसके दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप कर सकता है या उसे रोक सकता है।

घ) इसमें अपेक्षित अनुभव, ज्ञान, विशेषज्ञता, क्षमता, जनशक्ति और अवसंरचना की उपलब्धता (उपरोक्त सभी को बढ़ाने की क्षमता और योग्यता सहित) है जो कि इस अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रभावी और उचित रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक है; और

च) यह इस अनुबंध/निविदा के तहत भुगतान दायित्वों सहित अपने दायित्वों का निर्वहन वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले कौशल, परिश्रम और सक्षमता के स्तर के साथ करेगा और व्यवसाय/उद्योग में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करेगा।

छ) इसके पास लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी लाइसेंस और परमिट हैं और इस अनुबंध/निविदा की कोई भी शर्त लागू कानून, या किसी न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री, या किसी लिखित या मौखिक अनुबंध/निविदा, जिसमें यह एक पक्ष है, के साथ टकराव नहीं करती है या उसका उल्लंघन या चूक नहीं करती है।

46. अधित्याग

किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध/निविदा के किसी भी प्रावधान को लागू करने में किसी भी समय विफलता, दूसरे पक्ष से पूर्ण निष्पादन की मांग करने के उसके अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की माफी को बाद के किसी भी उल्लंघन के लिए माफी नहीं माना जाएगा। कोई भी माफी तभी मान्य होगी जब वह लिखित रूप में दर्ज हो और निगम के अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो।

47. उप-ठेकेदारों की नियुक्ति:

ठेकेदार द्वारा अनुबंध/समझौते के अंतर्गत किसी भी कार्य के पूर्ण या आंशिक निष्पादन के लिए किसी भी उप-ठेकेदार/उप-एजेंट को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

48. परिवहनकर्ता को भुगतान

परिवहनकर्ता को सहायक दस्तावेजों सहित बिल मासिक/पखवाड़े के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में जमा करने होंगे। बिल की 10% राशि सुरक्षा जमा के रूप में आयकर और अन्य करों (यदि लागू हो) के साथ समय-समय पर काटी जाएगी। परिवहन बिल का भुगतान संबंधित क्षेत्र के निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में बिल, वजन रसीद, चालान की प्रति/माल प्राप्तकर्ता द्वारा मुहरबंद और हस्ताक्षरित खेप नोट और मिल रसीद जमा करने के बाद किया जाएगा। ई-चालान अनिवार्य है, अन्यथा जीएसटी ई-चालान लागू न होने की घोषणा प्रदान की जा सकती है। जीएसटी, टीडीएस और आयकर टीडीएस संबंधित कानूनों के अनुसार लागू होंगे।

धारा 194सी (6) के तहत ट्रांसपोर्टरों को किए गए भुगतान पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी, जैसे कि: "ट्रांसपोर्टर को यह कम करके बताना होगा कि यदि टीडीएस लागू नहीं है, तो उसके पास (प्रचलित नियमों के अनुसार) वाहनों की संख्या कम है, साथ ही पैन कार्ड की प्रति भी देनी होगी"।

49. समय सार का है:

इस निविदा/अनुबंध और इसके प्रत्येक भाग के लिए समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

50. क्षतिपूर्ति:

बोलीदाता/ठेकेदार, जेसीआई, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और एजेंटों को सभी प्रकार की हानियों, क्षतियों, दावों, मुकदमों और कानूनी कार्यवाही से बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों या किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों के उल्लंघन का दावा भी शामिल है, लेकिन इन्हीं

तक सीमित नहीं है, जो (i) बोलीदाता/ठेकेदार की किसी भी वारंटी, प्रतिनिधित्व या इस निविदा/अनुबंध के किसी भी दायित्व/नियम और शर्तों के उल्लंघन, (ii) बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा किसी भी लागू कानून के उल्लंघन, (iii) इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान या इसके संबंध में किसी भी संपत्ति, सामग्री की हानि या क्षति या किसी व्यक्ति को हुई चोट, (v) ठेकेदार या उसके एजेंटों, कर्मचारियों, आमंत्रित व्यक्तियों या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही और दुर्व्यवहार से उत्पन्न या संबंधित हैं।

निगम के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से ठेकेदार द्वारा अनुबंध/समझौते की किसी भी शर्त के पालन या गैर-पालन या अनुपालन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप निगम द्वारा देय राशि की कटौती करने का हकदार होगा।

ठेकेदार या उसके सहयोगी कर्मचारियों या किसी अन्य तीसरे पक्ष की मृत्यु, चोट या दुर्घटना के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा, जो उनके कर्तव्यों के दौरान या उससे संबंधित किसी भी घटना के कारण घटित हो। निगम, ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की किसी भी संपत्ति की चोरी, हानि, क्षति या विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो निगम के परिसर में किसी भी कारण से हुई हो।

51. पर्यावरण संरक्षण

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जूट की गांठें/सामान पर्यावरण मानकों के अनुरूप परिवहन किए जाएं। परिवहन के दौरान आसपास के पर्यावरण को होने वाली क्षति के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। उपर्युक्त पर्यावरणीय खतरों के परिणामस्वरूप शुरू की जा सकने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। परिवहन के दौरान किसी भी पर्यावरणीय या अन्य खतरे के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा ठेकेदार के खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निगम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की स्थिति में, ठेकेदार इस संबंध में किए गए सभी खर्चों और लागतों की प्रतिपूर्ति करेगा।

52. अप्रत्याशित घटना:

किसी भी पक्ष को इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की देरी या विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, यदि ऐसी देरी या विफलता पूरी तरह या आंशिक रूप से अप्रत्याशित परिस्थितियों (फोर्स मेजर कंडीशंस) जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य दैवीय आपदाओं, सरकारी निकाय या सार्वजनिक शत्रु के कृत्यों, युद्धों, दंगों, प्रतिबंधों, महामारियों, आग या किसी अन्य ऐसे कारण, परिस्थिति या आकस्मिकता के कारण होती है जो उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो। अप्रत्याशित परिस्थिति से प्रभावित पक्ष, ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति के घटित होने के 7 (सात) दिनों के भीतर लिखित रूप में दूसरे पक्ष/पक्षों को इसकी प्रकृति और सीमा के बारे में तुरंत सूचित करेगा और परिस्थितियों के अनुसार उचित और वैध सीमा तक, ऐसे कारण को दूर करने या उसका निवारण करने के लिए यथासंभव शीघ्रता से सर्वोत्तम प्रयास करेगा। यदि संबंधित अप्रत्याशित परिस्थिति लगातार एक (1) महीने तक बनी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति से प्रभावित पक्ष, अनुबंध पर इसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, उचित और तर्कसंगत वैकल्पिक अनुबंध पर सहमत होकर सद्भावनापूर्ण चर्चा करेंगे।

53. शासी कानून:

यह अनुबंध/निविदा भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और इस निविदा/अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर केवल कोलकाता स्थित न्यायालयों का ही अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

54. विवाद समाधान:

इस निविदा/अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित तथा/या इस निविदा/अनुबंध के निर्माण, अर्थ, दायरे, निष्पादन, संचालन या प्रभाव तथा इसकी वैधता या उल्लंघन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद या असहमति को सर्वप्रथम पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत/समझौते के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाएगा। यदि पक्ष किसी भी पक्ष द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद या मामले मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे। मध्यस्थ (इस अनुबंध के पक्षों के कर्मचारी के अलावा) एक एकल मध्यस्थ होगा जिसकी नियुक्ति दोनों पक्षों द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर पारस्परिक रूप से की जाएगी, अन्यथा एकल मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और एकल मध्यस्थ का निर्णय/पुरस्कार अंतिम और इस अनुबंध के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी और मध्यस्थता का स्थान कोलकाता होगा।

55. विविध प्रावधान:

क) स्थानीय परिस्थितियाँ और अन्य कारक: प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह निविदा/अनुबंध के अंतर्गत आने वाली सेवा/कार्य के निष्पादन को प्रभावित करने वाले सभी राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों, कारकों और कानूनों से पूरी तरह अवगत हो। ठेकेदार/बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सेवा/कार्य की प्रकृति से संबंधित सभी पहलुओं से संतुष्ट माना जाएगा और निविदा/अनुबंध के अंतर्गत विभिन्न दायित्वों को प्रभावित करने वाले जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। ऐसी परिस्थितियों, कारकों और कानूनों के संबंध में जेसीआई से स्पष्टीकरण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि बोलीदाताओं/ठेकेदारों ने बोली जमा करते समय ऐसी परिस्थितियों, कारकों और कानूनों की उचित जांच और विचार किया है।

ख) ठेकेदार निगम को नोटिस देगा और भारत में समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी राष्ट्रीय या राज्य क़ानून, अध्यादेश, या अन्य कानून या किसी स्थानीय या अन्य विधिवत गठित प्राधिकरण के किसी नियम या उपनियम द्वारा सेवाओं के निष्पादन के संबंध में और उन सभी सार्वजनिक निकायों और कंपनियों के नियमों और विनियमों के अनुसार, जिनकी संपत्ति या अधिकार सेवाओं से किसी भी तरह से प्रभावित होते हैं या हो सकते हैं, सभी शुल्कों का भुगतान स्वयं करेगा।

ग) अनुबंध की अवधि के दौरान प्रमुख कर्मियों को बदला नहीं जा सकता है, सिवाय कर्मी की बीमारी/मृत्यु/इस्तीफे के मामले में, प्रतिस्थापित व्यक्ति के पास समान अनुभव और योग्यता होनी चाहिए, जो निगम द्वारा पुनः अनुमोदन के अधीन होगी।

घ) ठेकेदार, जब भी आवश्यक हो, निगम द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जांच के लिए कोई भी लागत या अन्य खाता बही, वाउचर, रसीदें, पत्र, ज्ञापन या लिखित दस्तावेज या ऐसे किसी भी दस्तावेज की कोई प्रति या उद्धरण प्रस्तुत करेगा या करवाएगा, और निगम द्वारा मांगे गए किसी भी या सभी दस्तावेजों के लिए वैधानिक अनुपालन/ईपीएफ/न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए किए गए भुगतान/नवीनीकृत लाइसेंस के लिए आवश्यक तरीके से सत्यापित जानकारी और विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

च) निगम ठेकेदार को देय भुगतान से समय-समय पर अधिसूचित दरों पर अनिवार्य कटौतियाँ, अर्थात् लागू कर आदि, करेगा। यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उसके कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए कोई गैरकानूनी कार्य न करें। ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों की लापरवाही या असावधानी के कारण निगम की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार करेगा। यदि ठेकेदार नुकसान की भरपाई करने में विफल रहता है, तो निगम उचित और उपयुक्त तरीके से उक्त राशि की कटौती करने का अधिकार रखेगा।

छ) ठेकेदार निगम के उपयुक्त प्राधिकारी को अनुबंधित कार्य के प्रारंभ, निलंबन, पुनः प्रारंभ, निष्पादन और/या समापन के संबंध में अनिवार्य या आवश्यक सूचना लिखित रूप में देगा। सभी सूचनाएं प्रस्तावित कार्य से पर्याप्त समय पहले दी जाएंगी ताकि गतिविधियों का उचित समन्वय सुनिश्चित हो सके और ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान निगम को कार्यों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से सूचित करता रहेगा, साथ ही निगम द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य जानकारी और/या सहायक आंकड़े और डेटा भी प्रदान करेगा।

ज) माल परिवहन के लिए उपलब्ध कराए गए ट्रक/लॉरी/टिपर या कोई भी वाहन पूरी तरह से सड़क पर चलने योग्य स्थिति में हैं और विनिर्देशों के अनुसार सुचारू और सुरक्षित परिवहन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से युक्त हैं। रास्ते में माल की चोरी, हेराफेरी, मिलावट, कदाचार या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

झ) उक्त पेलोडर और टिपर के संचालन के दौरान लोडिंग, अनलोडिंग और/या परिवहन के समय आग, रिसाव, लापरवाही, विस्फोट, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से निगम के कर्मचारियों/ठेकेदार के कर्मचारियों या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और ठेकेदार निगम को ऐसी किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा तथा निगम को वह राशि अदा करेगा जो निगम को कानून द्वारा अदा करने के लिए कहा जा सकता है।

त) ठेकेदार माल को अपने जोखिम पर स्वीकार करेगा और माल की क्षति से होने वाले नुकसान के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा तथा चोरी, हेराफेरी, दुर्घटना, आग या किसी भी दैवीय घटना के कारण माल की गैर-वितरण या कम वितरण के लिए भी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा।

थ) ठेकेदार प्रत्येक वाहन के लिए किसी प्रतिष्ठित बीमा एजेंसी से व्यापक बीमा पॉलिसी लेगा और इस पॉलिसी को हमेशा लागू रखेगा ताकि लॉरियों/ट्रकों/पे लोडर और टिपरों द्वारा निगम की संपत्ति को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति सहित सभी प्रकार के जोखिमों को कवर किया जा सके। ठेकेदार निगम द्वारा मांगे जाने पर मूल बीमा पॉलिसी और उससे संबंधित सभी बीमा प्रीमियम और शुल्कों के भुगतान का प्रमाण निगम को प्रस्तुत करेगा।

द) ठेकेदार के कर्मचारियों को कभी भी निगम के कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

56. अस्वीकरण

यद्यपि इस निविदा अनुसूची को तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी बोलीदाता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनुसूची सभी दृष्टियों से पूर्ण है।

निगम और उसके कर्मचारी इस निविदा अनुसूची में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं, और निगम के लिए निविदा अनुसूची को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष के निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है। कुछ संभावित बोलीदाताओं को कार्यक्षेत्र की बेहतर जानकारी हो सकती है। प्रत्येक संभावित बोलीदाता को स्वयं जांच और विश्लेषण करना चाहिए और निविदा अनुसूची में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए तथा उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

निगम इस प्रस्ताव के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त करने वाले सभी पक्षों को दी जाएगी।

क्षेत्रीय प्रबंध कर्ता
जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कूचबिहार आरओ

अनुलग्नक-1

तकनीकी बोली

निविदाकर्ता का नाम:

निविदाकर्ता का पता:

सेवा मे,
क्षेत्रीय प्रबंधक
जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कूचबिहार आरओ

प्रिय महोदय,

1. मैं एतद्द्वारा "सड़क परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति" हेतु निविदा प्रस्तुत करता/करती हूँ।

   ..... को .....।

2. मैंने निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन और समझ कर लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

3. एनईएफटी/आरटीजीएस/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) क्रमांक ..... दिनांक ..... बयाना राशि के रूप में संलग्न है। मैं/हम इस तथ्य से सहमत हैं कि निविदा की स्वीकृति पर, निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुसार बयाना राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

4. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि निविदा में दर्ज की गई सभी प्रविष्टियाँ और उससे संलग्न विवरण सत्य हैं।

5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी को पिछले पाँच वर्षों में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी निकाय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य ग्राहक द्वारा किसी भी अनुबंध की शर्तों का पालन न करने या किसी क़ानून, नियम या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ब्लैकलिस्ट या किसी अन्य प्रकार से घोषित नहीं किया गया है।

   या

   मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी को (यहाँ ग्राहक का नाम लिखें) द्वारा ..... की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो ..... को समाप्त हो गई है। (ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित किए जाने के कारणों और इस संबंध में किए गए संचार का पूर्ण विवरण दें)

6. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान मेरे/मेरी फर्म/कंपनी द्वारा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य ग्राहक के साथ किए गए किसी भी अनुबंध को अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले कभी भी समाप्त नहीं किया गया है।

7. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान मेरे/हमारे द्वारा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी निकाय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ किए गए किसी भी अनुबंध के संबंध में देय किसी भी मुआवजे के विरुद्ध बयाना राशि और/या सुरक्षा जमा राशि जब्त या समायोजित नहीं की गई है।

8. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी भी समय किसी भी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मुझे तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सत्य है। यदि कोई जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है, तो "जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए मुझे/हमें अयोग्य घोषित करने और अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का अधिकार होगा, साथ ही अनुबंध और कानून के तहत निगम के अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

अनुबंध- 2

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सड़क परिवहन अनुबंध के लिए डीपीसी/गोदामों से निविदा आमंत्रित।

(निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

1) निविदाकर्ता का विवरण

नाम :
जन्म तिथि:
पता :
ईमेल आईडी :
सम्पर्क का नम्बर :

2) निविदाकर्ता की संरचना

a. स्वामित्व वाली फर्म/पंजीकृत साझेदारी फर्म/कंपनी:

b. स्वामी/सभी साझेदारों के नाम:

c. वह व्यवसाय जिसमें निविदाकर्ता कार्यरत है:
प्रधान कार्यालय के विवरण सहित
और यदि कोई व्यवसाय हो तो।

3) संलग्न दस्तावेजों की सूची

a) अग्रेषण पत्र हाँ/नहीं
b) आयकर पैन हाँ/नहीं
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l) व्यापार लाइसेंस हाँ/नहीं
m) व्यवसायिक पते का प्रमाण और संपर्क नंबर: हाँ/नहीं
n) पंजीकरण प्रमाणपत्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हाँ/नहीं
परिवहन एवं राजमार्ग के प्रावधानों के अंतर्गत
सड़क परिवहन अधिनियम 2007 के अंतर्गत
o) जीएसटी पंजीकरण विवरण: हाँ/नहीं

(हस्ताक्षर और सील)

(अधिकृत हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -3

मिलों का अनुभागवार स्थान

बीटीरोड	जीटी रोड	बज बज	चेंगाइल	हावड़ा	बर्दवान
गंगा जूट मिल	हनुमान जूट मिल	कैलांडेनिया जूट मिल	लुडलो जूट मिल	फोर्ट ग्लोस्टर	बारसुलटेक्स
रिलायंस जूट मिल	नास्करपारा जूट मिल	चेविओर जूट मिल	कनेरिया जूट मिल	बोवरिया जूट मिल	
ऑक्सलैंड जूट मिल	श्याम नगर जूट मिल	बज बज जूट मिल	डेल्टा जूट मिल	यूनियन जूट मिल	
केल्विन जूट मिल	एंगस जूट मिल	बिरला जूट मिल		बैली नंबर 2 (उल्टागैंग)	
अगरपारा जूट मिल	विक्टोरिया जूट मिल (आरडीबी टेक्सटाइल)	गणेश जूट मिल		हावड़ा जूट मिल	
प्रबर्तक जूट मिल	डलहौज़ी जूट मिल	राष्ट्रीय जूट मिल		बिजोयश्री जूट मिल	
खारदा जूट मिल	बैली जूट मिल	हुगली जूट मिल		फोर्ट विलियम जूट मिल	
एलेक्जेंड्रा जूट मिल	महादेव जूट मिल	कलकत्ता जूट मिल			
नैहाटी जूट मिल	चंपडनी जूट मिल	सूरह जूट मिल			
केनिसन जूट मिल	श्रीरामपुर जूट मिल				
एलायंस जूट मिल	विलिंगटन जूट मिल				
टिटागढ़ जूट मिल	नॉर्थ ब्रॉक जूट मिल				
गौरीशंकर जूट मिल	हेस्टिंग (ऋषरा)				
बारानगर जूट मिल	नास्करपारा, घोषोरी				
कमरहाटी जूट मिल	जॉय तिरुपति जूट मिल				
कंकिनारा जूट मिल	गंडलपारा जूट मिल				
नादिया जूट मिल	आदित्य (भद्रेश्वर)				
गौरीपुर जूट मिल	अंबिका मैन्युफैक्चरिंग, बेलूर				
एंग्लो इंडिया जूट मिल	तिरुपाई जूट मिल				
हुकुमचंद जूट मिल	इंडिया जूट मिल				
जगतदल जूट मिल					
मैग्ना जूट मिल (श्यामनगर)					
एम्पायर जूट मिल (टिटागढ़)					
नफ्फरचंद जूट मिल					

अनुबंध- 4

मूल्य बोली

से:

नाम:

पता:

सेवा मे

क्षेत्रीय प्रबंधक।

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

कूचबिहार आरओ

प्रिय महोदय,

मैं _____ से _____ तक के क्षेत्र के लिए "सड़क परिवहन ठेकेदार के रूप में नियुक्ति" हेतु मूल्य बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मैंने निविदा दस्तावेज और उसके अनुलग्नकों में निहित सभी नियम और शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन और समझ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

3. मैं निम्नलिखित दरों पर काम करने की पेशकश करता/करती हूं, जिसमें सभी कर, शुल्क, उपकर आदि शामिल हैं।

डीपीसीएस का नाम	पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलों तक परिवहन के लिए प्रति गांठ की दर					
	बीटी रोड	जीटी रोड	बजट बजट	चेंगाइल	हावड़ा	बर्दवान
दिन्हाटा डीपीसी						
मथाभंगा डीपीसी						
भेटगुरी डीपीसी						
कामाख्यागुरी डीपीसी						
अलीपुरदुआर डीपीसी						
तुफानगंज डीपीसी						

आपका विश्वासी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध- V

अखंडता समझौता

बीच में

जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(इसके बाद इसे जेसीआई कहा जाएगा)

और

.....

(बोलीदाता का नाम और पता)

(इसके बाद इन्हें "बोलीदाता"/ "ठेकेदार"/ "सेवा प्रदाता" कहा जाएगा)
(और जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा)

प्रस्तावना

यह पूर्व-बोली पूर्व-अनुबंध समझौता, जिसे इसके बाद अखंडता समझौता (आईपी) कहा जाएगा, दिनांक ..... को ....., 20... माह के ..... दिन को किया गया है। एक पक्ष जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद जेसीआई कहा जाएगा) जिसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय कोलकाता में है, श्री/श्रीमती ..... पदनाम..... के माध्यम से कार्य कर रहा है, और दूसरा पक्ष मेस/एस..... है जिसका प्रतिनिधित्व श्री/श्रीमती ..... पदनाम.....कर रहे हैं, जिसे इसके बाद 'बोलीदाता' या 'ठेकेदार' या 'सेवा प्रदाता' कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइन शामिल होंगे)।

जबकि जेसीआई ..... (भंडार/उपकरण/वस्तु/सामान/सेवाओं का नाम) की खरीद का प्रस्ताव करता है और बोलीदाता/ठेकेदार/सेवा प्रदाता (भंडार/उपकरण/वस्तु/सामान/सेवाओं) की पेशकश करने के लिए इच्छुक है/की पेशकश कर चुका है और जबकि बोलीदाता/सेवा प्रदाता संबंधित कानून के अनुसार गठित एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी आदि है और जेसीआई एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय प्रमुख डीपीसी और विभागीय खरीद केंद्र हैं।

अतः,

निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मुक्त प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचना, ताकि अनुबंध की अवधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जेसीआई को वांछित भंडार/उपकरण/वस्तु/सामान/सेवाएं प्रतिस्पर्धी मूल्य पर परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्राप्त हो सकें, सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार की उच्च लागत और विकृत प्रभाव से बचा जा सके और बोलीदाताओं को रिश्वतखोरी या किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधि में लिप्त होने से रोका जा सके, साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया जा सके कि उनके प्रतियोगी भी रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों से दूर रहेंगे और जेसीआई पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रत्येक बोलीदाता को निविदा/बोली/ईओआई/आरएफपी यानी जेसीआई द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव अनुरोध के जवाब में बोली दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित अपनी बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रस्तुत करना आवश्यक है और इस आईपी समझौते के बिना बोली को सीधे तौर पर अयोग्य/अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दोनों पक्ष, अर्थात् जेसीआई और बोलीदाता/सेवा प्रदाता, इस सत्यनिष्ठा समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं और निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं:

अनुच्छेद 1: जेसीआई की प्रतिबद्धता

(1) जेसीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(क) जेसीआई का कोई भी कर्मचारी, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, निविदा या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, अपने लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी ऐसे भौतिक या अमूर्त लाभ की मांग नहीं करेगा, उसका वादा नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

(ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान, जेसीआई सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और तर्कसंगत व्यवहार करेगा। जेसीआई विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीदाताओं को एक समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को ऐसी गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके।

(2) यदि जेसीआई को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के तहत आपराधिक अपराध है या इसमें उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन है या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो जेसीआई अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

अनुच्छेद 2: बोलीदाता(कों) की प्रतिबद्धता

(1) यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता (जिसमें उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट शामिल हैं) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और निविदा प्रक्रिया के दौरान और अनुबंध के वार्ता या आवंटन के दौरान, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की जानकारी होने या पता चलने पर सरकार/विभाग को सूचित करें।

(2) बोलीदाता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(i) बोलीदाता प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल जेसीआई के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी भौतिक या अन्य लाभ प्रदान नहीं करेगा, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ii) बोलीदाता किसी अन्य बोलीदाता के साथ कोई भी गुप्त समझौता या सहमति, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, नहीं करेगा। यह विशेष रूप से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणनों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या गुटबंदी करने के किसी भी अन्य कार्य पर लागू होता है।

(iii) बोलीदाता संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा, बोलीदाता जेसीआई द्वारा व्यावसायिक संबंध के अंतर्गत प्रदान की गई योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों से संबंधित किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ का अनुचित उपयोग (प्रतिस्पर्धा या किसी व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) नहीं करेगा, न ही उसे दूसरों को हस्तांतरित करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई या प्रेषित जानकारी भी शामिल है। बोलीदाता यह भी वचन देता है कि ऐसी किसी भी जानकारी के लीक होने से बचने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी।

(iv) विदेशी मूल के बोलीदाता भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते (यदि कोई हों) का खुलासा करेंगे। इसी प्रकार, भारतीय नागरिकता वाले बोलीदाता विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते (यदि कोई हों) का खुलासा करेंगे। निविदा में या तो विदेशी मुख्य ठेकेदार की ओर से भारतीय एजेंट या सीधे विदेशी मुख्य ठेकेदार बोली लगा सकते हैं, दोनों नहीं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई एजेंट किसी निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, तो उसे उसी वस्तु के लिए बाद की/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(v) बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए जाने वाले या किए जाने का इरादा रखने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेगा।

(3) बोलीदाता उपर्युक्त उल्लिखित अपराध करने के लिए तीसरे व्यक्तियों को उकसाएगा नहीं या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं होगा।

(4) बोलीदाता प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि (अर्थात जानबूझकर तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या तथ्यों को छुपाना या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना) में संलग्न नहीं होगा, जिसका उद्देश्य अनुचित लाभ प्राप्त करना या दूसरों के न्यायसंगत हितों को नुकसान पहुंचाना और/या सरकारी हितों के प्रतिकूल खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो।

(5) बोलीदाता प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से जबरदस्ती प्रथाओं का उपयोग नहीं करेगा (जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति पहुँचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी, डरावा या बल प्रयोग के माध्यम से कुछ प्राप्त करना, किसी कार्रवाई को बाध्य करना या किसी निर्णय को प्रभावित करना, ताकि निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित किया जा सके, कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके और/या निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके)।

अनुच्छेद 3: अखंडता समझौते के उल्लंघन के लिए दंड

कानून, अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत जेसीआई को उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता(कों) द्वारा इस अखंडता समझौते के उल्लंघन की स्थिति में जेसीआई के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता जेसीआई के इस पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने का वचन देता है:

(1) यदि बोलीदाता/ठेकेदार ने अनुबंध दिए जाने से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान अनुच्छेद 2 का उल्लंघन करके या किसी अन्य रूप में ऐसा कोई अपराध किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या साख पर सवाल उठता हो, तो जेसीआई ठेकेदार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर सकता है या यदि अनुबंध पहले ही निष्पादित हो चुका है तो उसे समाप्त कर सकता है या बोलीदाता/ठेकेदार को भविष्य की अनुबंध आवंटन प्रक्रियाओं से बाहर कर सकता है। निष्कासन की अवधि और अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर जेसीआई द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा निष्कासन हमेशा के लिए या जेसीआई द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।

(2) ईएमडी/प्रदर्शन गारंटी/सुरक्षा जमा की ज़ब्ती: यदि जेसीआई ने अनुबंध प्रदान करने से पहले निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता(कों) को अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध समाप्त कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो जेसीआई, जेसीआई को प्राप्त किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, अपने विवेकानुसार बोलीदाता/ठेकेदार की संपूर्ण बयाना राशि/प्रदर्शन गारंटी और सुरक्षा जमा को उचित ठहराते हुए ज़ब्त कर सकता है।

(3) आपराधिक दायित्व: यदि जेसीआई को किसी बोलीदाता या ठेकेदार, या किसी बोलीदाता या ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि या सहयोगी के आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी अधिनियम के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि जेसीआई को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो जेसीआई आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

(4) बोलीदाता या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा (बोलीदाता की जानकारी के साथ या उसके बिना) उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, जहां भी आवश्यक हो, जेसीआई को निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा: -

(i) बिना कोई कारण बताए या बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध-पूर्व वार्ता को तुरंत रद्द कर देना। हालांकि, अन्य बोलीदाताओं के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

(ii) पूर्व-अनुबंध चरण में जमा की गई बयाना राशि और/या अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद जमा की गई सुरक्षा राशि/प्रदर्शन बांड, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जेसीआई द्वारा तय किए गए अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए जेसीआई को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) यदि अनुबंध पर पहले से हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना उसे तुरंत रद्द करना।

(iv) जेसीआई द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना, और भारतीय बोलीदाता के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रचलित प्राइम लेंडिंग रेट से 2% अधिक ब्याज सहित, तथा भारत के अलावा किसी अन्य देश के बोलीदाता के मामले में LIBOR से 2% अधिक ब्याज सहित। यदि किसी अन्य सामान के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में जेसीआई द्वारा बोलीदाता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग भी उपरोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए किया जा सकता है।

(v) यदि बोलीदाता द्वारा अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बांड/वारंटी बांड प्रस्तुत किया गया है, तो जेसीआई द्वारा पहले से किए गए भुगतानों को ब्याज सहित वसूल करने के लिए उसे भुनाना।

(vi) बोलीदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करना। ऐसे रद्द करने/समाप्त करने के परिणामस्वरूप जेसीआई को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बोलीदाता क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और जेसीआई बोलीदाता को देय राशि में से देय राशि काटने का हकदार होगा।

(vii) बोलीदाता को जेसीआई की भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना, लेकिन जिसे जेसीआई के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

(viii) अनुबंध प्राप्त करने के उद्देश्य से बोलीदाता(कों) द्वारा इस समझौते के उल्लंघन में किसी मध्यस्थ, एजेंट या दलाल को भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना।

(ix) ऐसे मामलों में, जहां जेसीआई द्वारा बोलीदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें खोला नहीं जाएगा।

(x) इस समझौते के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना जेसीआई द्वारा प्रदर्शन बांड को जब्त करने के निर्णय की स्थिति में प्रदर्शन बांड की जब्ती।

(5) जेसीआई बोलीदाता या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा (बोलीदाता की जानकारी के साथ या उसके बिना) भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार निवारण के लिए अधिनियमित किसी अन्य क़ानून में परिभाषित अपराध के कमीशन पर इस समझौते के पैरा 1 (i) से (x) में उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई करने का हकदार होगा।

(6) जेसीआई द्वारा यह निर्णय कि बोलीदाता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोलीदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, बोलीदाता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक(कों) से संपर्क कर सकता है।

अनुच्छेद 4: पूर्व उल्लंघन

(1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ, जो भ्रष्टाचार-विरोधी दृष्टिकोण का पालन करती हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सके।

(2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या जेसीआई द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता के व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जा सकती है।

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार

(1) जेसीआई सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ इस समझौते के समान शर्तों पर समझौते करेगा।

(2) जेसीआई उन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा, जो निविदा के साथ जेसीआई और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित समझौता प्रस्तुत नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 6: पतन खंड

बोलीदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के संबंध में अपनी वर्तमान बोली में प्रस्तावित कीमत से कम कीमत पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है, और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता ने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली कम कीमत पर दी थी, तो वही कीमत, बीते हुए समय के लिए उचित छूट के साथ, वर्तमान मामले में लागू होगी और यदि अनुबंध पहले ही संपन्न हो चुका है, तो बोलीदाता द्वारा क्रेता को लागत में अंतर की राशि वापस कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 7: स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक

(1) जेसीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से निम्नलिखित दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों को नियुक्त किया है ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा कर सकें कि क्या और किस हद तक पक्षों ने इस एकीकृत समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है।

(i) श्री सुभाषिश सरकार

सेवानिवृत्त सदस्य, डाक सेवा बोर्ड, नई दिल्ली

ई-मेल:subhashishsarkar53@yahoo.com

(ii) श्री उपेंद्र मलिक

सेवानिवृत्त विशेष महानिदेशक, सीपीडब्लू, नई दिल्ली

ई-मेल:upendra.malik@gmail.com

(2) पर्यवेक्षक पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और वे अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निभाएंगे।

(3) दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि मॉनिटरों को परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुँच का अधिकार है, जिसमें बैठकों का कार्यवृत्त भी शामिल है। बोलीदाता यह स्वीकार करते हैं कि मॉनिटरों को जेसीआई के सभी परियोजना दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुँच का अधिकार है, जिसमें बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। बोलीदाता, मॉनिटरों के अनुरोध और वैध हित सिद्ध होने पर, उन्हें अपने परियोजना दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। मॉनिटर अनुबंध के अनुसार बोलीदाता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए बाध्य होंगे।

(4) जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते के उल्लंघन का पता चलता है, या उसे उल्लंघन का संदेह होता है, वह जेसीआई द्वारा नामित प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

(5) जेसीआई परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच होने वाली सभी बैठकों के बारे में मॉनिटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकों का पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।

(6) सत्यनिष्ठा समझौता दोनों पक्षों द्वारा आईपी पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से लेकर अनुबंध के सभी पहलुओं में पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। कार्य आवंटित होने के बाद, यदि अनुबंध निष्पादन से संबंधित भ्रष्टाचार का कोई मामला विशेष रूप से उनके समक्ष उठाया जाता है, तो आईईएम उसकी जांच करेंगे।

(7) आईपी पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष आईईएम के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करते समय अदालतों का रुख नहीं करेंगे और मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 8: समझौते की अवधि

(1) इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लेकर अनुबंध के पूर्ण निष्पादन तक, जिसमें वारंटी अवधि और दोष दायित्व अवधि (जो भी लागू हो) शामिल है, जो भी बाद में हो, मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता असफल रहता है, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से छह महीने बाद समाप्त हो जाएगा।

(2) यदि इस समझौते के एक या अनेक प्रावधान अमान्य सिद्ध होते हैं, तो भी समझौते के शेष प्रावधान वैध बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में, पक्षकार अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप समझौते पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 9: अन्य प्रावधान

(1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन और अधिकार क्षेत्र का स्थान जेसीआई के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।

(2) परिवर्तन और अनुपूरण लिखित रूप में किए जाने चाहिए। कोई अलग समझौता नहीं किया गया है।

(3) संयुक्त उद्यम, साझेदारी या संघ के मामले में, इस समझौते पर सभी साझेदारों द्वारा या सभी साझेदारों और संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधिकारपत्र रखने वाले एक या अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(4) उप-ठेकेदारी की स्थिति में, मुख्य ठेकेदार उप-ठेकेदार(कों) द्वारा बौद्धिक संपदा (आईपी) को अपनाने की जिम्मेदारी लेगा। बोलीदाता अपने किसी भी उप-ठेकेदार/उप-विक्रेता द्वारा इस अनुबंध/समझौते में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक उप-ठेकेदार को आईपी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

(5) यदि इस समझौते के एक या अनेक प्रावधान अमान्य सिद्ध हो जाएं, तो इस समझौते के शेष प्रावधान वैध बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में, पक्षकार अपने मूल इरादों के अनुरूप समझौता करने का प्रयास करेंगे।

(6) यह शर्त के रूप में सहमति दी जाती है कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद का समाधान किया जाएगा। इस सत्यनिष्ठा समझौते की शर्तों के संबंध में, जेसीआई द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते या इसकी व्याख्या के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

अनुच्छेद 10: कानूनी और पूर्वोक्त अधिकार

इस बौद्धिक संपदा समझौते में निर्धारित कार्रवाइयां किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी जो प्रचलित कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हो सकती है। इस समझौते के सभी पक्षकारों के अधिकार और उपाय, अनुबंध और/या कानून के तहत उनके सभी अन्य कानूनी अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त होंगे और इन्हें संचयी माना जाएगा, न कि उपरोक्त कानूनी अधिकारों और उपायों का विकल्प। संक्षेप में, दोनों पक्षकार सहमत हैं कि इस अखंडता समझौते के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रावधान के संबंध में, यह अखंडता समझौता निविदा/अनुबंध दस्तावेजों पर प्राथमिकता रखेगा।

इसके प्रमाण स्वरूप, पक्षकारों ने उपर्युक्त स्थान और तिथि पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर और निष्पादन किए हैं:

....

(जेसीआई की ओर से और उसके लिए) (बोलीदाता/ठेकेदार की ओर से)

गवाह:

1. ..... 1. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता) (हस्ताक्षर, नाम और पता)

जगह :

दिनांकित :